प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल याचिका सं 73/2023

मेसर्स अल्पाइन हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड

.....अपीलकर्ता

बनाम

अशोक एस. धारीवाल और अन्य

.....प्रतिवादी

निर्णय

एम. आर. शाह, (जे.)

1. बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 50799/2019 में पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 1.9.2021 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है और विद्वान अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश, सिग्नेचर ने इंगलुरु द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए और रद्द करते हुए, उत्तरदाताओं-मूल रिट याचिकाकर्ताओं को नीतू सचदेवा तारीख द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 34 के

से एक आवेदन में साक्ष्य प्रस्तुत करें, उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रतिवादी और जिसके पक्ष में विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित किया विद्वान है, उसने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

यह कि विद्वान मध्यस्थों द्वारा दिनांकित 12.03.1998 द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध, अधिनियम की खंड 34 के से एक आवेदन मध्यस्थता मामला संख्या 38/1998 प्रतिवादी द्वारा दायर किया विद्वान है।कि प्रतिवादी ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए खंड 34 के आवेदन में आइए संख्या 4 के रूप में एक अंतरिम आवेदन दायर किया।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस तरह विद्वान मध्यस्थों द्वारा पारित पुरस्कार एक एकतरफा पुरस्कार था और इसमें प्रतिवादी द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था, जिन्होंने बाद में खंड 34 आवेदन के माध्यम से पुरस्कार पर हमला विद्वानअपीलकर्ता ने इस आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने वाले उक्त अंतरिम आवेदन पर आपत्तियां दायर कीं कि यह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखने योग्य नहीं था।जिन आधारों पर प्रतिवादी ने उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उन पर आगे विचार किया जाएगा।

2. 1 धारा 34 आवेदन में आइए संख्या 4 होने के कारण अंतरिम आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय ने उक्त अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया और यह कहते हुए प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने खंड अनुमति देने अस्वीकार करना कर दिया कि यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो यह मध्यस्थता कार्यवाही के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य और

उद्देश्य को विफल कर देगा और यह धारा 34 आवेदन खंड अग्रेतर खंड सुनवाई में विलम्ब करेगा। उस उद्देश्य के लिए, अधिनियम खंड खंड 34 (2) (ए) के प्रावधानों पर अवलम्ब रखी गई थी, जैसा कि वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा खंड 34 (2) (ए) में "सबूत प्रस्तुत करें" अभिव्यक्ति को "मध्यस्थ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख के आधार पर स्थापित करें" अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।इसलिए, धारा 34 आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय ने राय दी कि उक्त संशोधन का उद्देश्य अधिनियम खंड धारा 34 के से न्यायिक समीक्षा के दायरे को मात्र उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) के से गणना खंड गई असाधारण परिस्थितियों में सीमित करना है और भले ही आग्रह किए गए आधार अधिनियम खंड धारा 34 (2) (बी) खंड संबंधित हों, आवेदकों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हो सकता है।खंड 34 आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाले आइए संख्या 4 के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का विषय था।

2. 2 उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता खंड ओर खंड उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रतिवादी खंड ओर खंड यह स्वीकार किया गया था कि अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) के प्रावधान, जो 2019 के अधिनियम 33 खंड पहले थे, लागू होंगे, अर्थात् अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) में पूर्व-संशोधन लागू होगा। कि इसके पश्चात विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, फिज़ा डेवलपर्स एंड इंटर-ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड बनाम ए. एम. सी. आई. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन

करने के पश्चात (2009) 17 एस. सी. सी. 796 में रिपोर्ट खंड गई, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और नीचे दी गई अदालत द्वारा पारित आदेश को अपास्त दिया है और इसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी है जिसमें उन्हें अधिनियम खंड खंड 34 के से कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने खंड अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को अधिनियम खंड खंड 34 के से कार्यवाही में साक्ष्य/अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने खंड अनुमति देने वाला विवादित निर्णय और आदेश इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील का विषय है।

3. श्री कृष्णन वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए हैं और श्री बालाजी श्रीनिवासन, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों-मूल रिट अधिवक्ताकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं।

3. 1 अपीलकर्ता खंड ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अधिनियम खंड धारा 34 के से एक आवेदन में प्रतिवादियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने खंड अनुमति देने में बहुत गम्भीर त्रुटि खंड है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को अधिनियम खंड धारा 34 के से एक आवेदन में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने खंड अनुमति देने वाला विवादित निर्णय और आदेश अधिनियम संख्या 34 (2) (ए) में संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य के विरुद्ध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अधिनियम खंड धारा 34 के से एक आवेदन में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार से व्यथित आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने खंड अनुमति दी जाती है, तो यह अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) में संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा,

जिसके द्वारा "प्रमाण प्रस्तुत करता है" अभिव्यक्ति को "मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख के आधार पर स्थापित" अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) में संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही का जल्द से जल्द निर्णय लेना और निपटान करना और विलम्ब से बचना है।

3.2 अपीलकर्ता खंड ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने अग्रेतर यह प्रस्तुत किया कि यद्यपि अपीलकर्ता खंड ओर से उपस्थित वखंडल द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि धारा 34 (2) (ए) में संशोधन करने से पहले अधिनियम खंड धारा 34 लागू होगी, उक्त रियायत बाध्यकारी नहीं है क्योंकि यह कानून के विरुद्ध होगी और कानून के विपरीत कोई भी रियायत बाध्यकारी नहीं होगी।यह प्रस्तुत किया जाता मात्र कि इसलिए उनके अनुसार संशोधन के बाद खंड धारा 34 (2) (ए) के प्रावधान लागू होंगे जिसके द्वारा अधिनियम खंड धारा 34 के से कार्यवाही में, आवेदक को पुरस्कार को अपास्तने के लिए धारा 34 (2) (ए) में निर्धारित आधारों पर सबूत प्रस्तुत करने खंड आवश्यकता नहीं मात्र और धारा 34 आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय को उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) के से गणना खंड गई असाधारण परिस्थितियों पर ही निर्णय लेना मात्र। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आवेदकों को अतिरिक्त साक्ष्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

3.3 यह अग्रेतर प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी और यह मानते हुए कि संशोधन (2019 का अधिनियम 33) से पहले लागू प्रावधान लागू हैं, उस मामले में भी, क्योंकि उत्तरदाता-मूल आवेदकों ने अधिनियम खंड धारा 34 (2) (बी) के से गणना किए गए

आधारों पर पुरस्कार पर हमला किया है, धारा 34 (2) (ए) में "सबूत प्रस्तुत करें" अभिव्यक्ति धारा 34 (2) (बी) पर लागू नहीं हो सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय पर खंड 34 (2) (ए) के से या खंड 34 (2) (बी) के से गणना किए गए आधारों पर हमला किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 34 (2) (ए) और खंड 34 (2) (बी) के से गिने गए आधार अलग-अलग आधार/खंड हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिनियम खंड खंड 34 (2) (ए) में "सबूत प्रस्तुत करना" खंड 34 (2) (बी) पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यदि संसद ऐसा करना चाहती है, तो खंड 34 (2) सभी सात आधारों पर सबूत खंड आवश्यकता को लागू करती, बिना किसी अलग खंड (ए) और (बी) खंड आवश्यकता के।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 34 (2) (बी) में "अदालत ने पाया है कि" का प्रभाव यह है कि अदालत मध्यस्थता निर्णय के आधार पर अपने दम पर निर्णय ले सकती है कि विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं था या यह निर्णय सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, खंड 34 (2) के खंड (ए) और (बी) के बीच "या" को संयुग्म "और" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

3. 4 यह अग्रेतर प्रस्तुत किया जाता है कि फिज़ा डेवलपर्स (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का अनुपात उन मुद्दों को तैयार करने के लिए था जिनखंड धारा 34 (2) खंड कार्यवाही में आवश्यकता नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि (2018) 9 एस. सी. सी. 49 में रिपोर्ट किए गए एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम गिरधर सोंधी के मामले में, इस न्यायालय ने फिज़ा डेवलपर्स (उपरोक्त) के मामले में निर्णय खंड व्याख्या खंड है और स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मात्र धारा 34 (2) (ए) सबूत

प्रस्तुत करने पर विचार करती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि (2019) 9 एस. सी. सी. 462 में रिपोर्ट किए गए केनरा निधि लिमिटेड बनाम एम. शशिकल के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय ने एमके ग्लोबल (उपरोक्त) में धारा 34 (2) (ए) खंड व्याख्या को मंजूरी दी है।

3.5 यह अग्रेतर प्रस्तुत किया जाता है कि जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड के मामले में, (2022) 1 एस. सी. सी. 753 में रिपोर्ट किया गया है, इस न्यायालय ने खंड 34 (2) (ए) में 2019 के संशोधन को स्पष्टीकरण के रूप में माना है, जबकि खंड 48 (1) पर विचार करते हुए जो मोटे तौर पर खंड 34 (2) (ए) और 34 (2) (बी) के साथ समान सामग्री में हैं जैसा कि वे 2019 के संशोधन से पहले थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने पैराग्राफ 39 और 40 में उपरोक्त निर्णय में कहा कि खंड 48 (2) में सार्वजनिक नीति के साथ टकराव सहित असंशोधित खंड 48 के से आधार मात्र "मध्यस्थ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख" के आधार पर स्थापित किए जाने हैं।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार संसद को किसी कार्यवाही में दो अलग-अलग आधारों के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाएं प्रदान करने या एक ही राहत के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाएं करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद का इरादा है कि खंड 34 (2) (बी) में आधार मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख के आधार पर स्थापित किए जाने चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए भी कि धारा 34 (2) (बी) के से सबूत खंड आवश्यकता है, यह अधिनियम के साथ किसी पुरस्कार के कथित टकराव के मामले में लागू नहीं होता है।विशुद्ध रूप से

कानून का प्रश्न होने के कारण, इस पर पुरस्कार में दर्ज निष्कर्षों/निर्देशों पर विचार किया जा सकता है।

3.7 यह अग्रेतर प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा गुण-दोष पर भी, सामान्य नियम यह है कि जब तक असाधारण परिस्थितियाँ नहीं बनाई जाती हैं, तब तक कोई अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामला "असाधारण परिस्थितियों" के अर्थ में नहीं आता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा केनरा निधि (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुरस्कार में निर्देश कि मुकदमा वैधानिक अनुमतियों के लिए आवेदन करेंगे, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में पारित करने के लिए वैधानिक रूप से सही डिक्री है। इसलिए, पुरस्कार को "भारतीय कानून की सार्वजनिक नीति" के साथ टकराव में नहीं कहा जा सकता है।

3.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी का यह तर्क कि पुरस्कार निराश है क्योंकि निगम ने खतों को जोड़ने खंड अनुमति देने अस्वीकार करना कर दिया है, जो कि निष्पादित किए जाने वाले पुरस्कार का आधार है, धारा 34 (2) (बी) के से सार्वजनिक नीति के आधार के साथ टकराव के दायरे में नहीं आता है क्योंकि यह पुरस्कार है न कि इसका निष्पादन जो भारत खंड सार्वजनिक नीति के साथ टकराव होना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य के अलावा कि प्रतिवादी का तर्क उनके पुरस्कार स्वीकार करने पर आधारित है, निगम का कथित इनकार निश्चित रूप से पुरस्कार के पश्चात की घटना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह निष्पादन अदालत है जो यह निर्धारित करेगी कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण डिक्री अप्रवर्तनीय है।यह प्रस्तुत

किया जाता है कि निष्पादन के दौरान साक्ष्य का नेतृत्व किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में उनकी आपत्ति को अस्वीकार करने के पश्चात भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने में अपनी जानबूझकर विफलता का परिणाम भुगतने के लिए बाध्य हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रतिवादी को अपनी गलतियों का लाभ उठाकर साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

3.9 अपीलकर्ता खंड ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अग्रेतर यह आग्रह किया जाता है कि यदि यह न्यायालय प्रतिवादी को साक्ष्य देने खंड अनुमति देने के लिए इच्छुक है, तो उस मामले में, (ए) अपीलकर्ता को साक्ष्य देने खंड अनुमति दी जा सकती है, जिसमें उन खतों को जोड़ने खंड अनुमति शामिल है जहां नाले हैं और निगम का बाद में प्रतिवादी द्वारा छिपे हुए खतों को जोड़ने पर विचार करने के लिए सहमत होना, और (बी) इस बारे में कानून के प्रश्न कि क्या निगम का इनकार धारा 34 (2) (बी) के से आता है, कृपया खुला छोड़ दिया जा सकता है।

4. प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री बालाजी श्रीनिवासन ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में शुरू में प्रतिवादी ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की मध्यस्थता कार्यवाही/गठन को चुनौती दी और इसलिए उन्होंने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं लिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकतरफा सुनवाई के साथ आगे बढ़ा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत या नेतृत्व नहीं किया गया था।

4. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के से मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई और मध्यस्थों ने मनमाने ढंग से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के से मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी ने मध्यस्थता से अपना नाम वापस ले लिया।कि इसके बाद प्रतिवादी ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पूर्वाग्रह और उच्च शुल्क को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया।यद्यपि खतों के एकीकरण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाले समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दिनांकित एक-पक्षीय पुरस्कार 12.03.1998 पारित किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में हालांकि यह अपीलकर्ता के लिए था कि वह खतों के समामेलन के लिए आवेदन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह प्रतिवादी ही थे जिन्होंने इसके लिए दो बार आवेदन किया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा दो बार किए गए खतों के समामेलन के आवेदनों को रज़ाजा कलुवे या वर्षा जल निकासी की उपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रतिवादी ने धारा 34 के आवेदन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन किया ताकि अंतिम समर्थन दिनांक 17.03.2003 प्रस्तुत किया जा सके जिसके द्वारा भूखंडों में खटों के समामेलन के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था और उसके बाद संबंधित अधिकारी से पूछताछ करने खंड आवश्यकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रतिवादी खंड ओर खंड यह मामला है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 खंड धारा 34 (2) (बी) (i) अग्रेतर (ii) अग्रेतर भारतीय अनुबंध अधिनियम खंड धारा 56 को देखते हुए पुरस्कार को लागू करने अग्रेतर/या निष्पादित करने में असमर्थ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए

प्रतिवादी के अनुसार पुरस्कार का प्रवर्तन सार्वजनिक नीति, स्थानीय कानून के विपरीत है अग्रेतर भारतीय अनुबंध अधिनियम खंड धारा 56 के कारण मध्यस्थता कार्यवाही को रद्द कर देता है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) में संशोधन से पहले के प्रावधान, यानी अधिनियम 33/2019 से पहले लागू होंगे जिसमें उपयोग किए गए शब्द "सबूत प्रस्तुत करें" हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार "सबूत प्रस्तुत करें" शब्द धारा 34 (2) (ए) और 34 (2) (बी) में निर्धारित आधारों पर पुरस्कार को अलग करने के अपास्त एक आवेदन के संबंध में लागू होंगे, न कि केवल धारा 34 (2) (ए), जैसा कि अपीलकर्ता खंड ओर से तर्क दिया जाना चाहिए।

4. 3 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने फिज़ा डेवलपर्स (ऊपर); एमके ग्लोबल (ऊपर); और केनरा निधि (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।उन्होंने एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया है।हिमाचल प्रदेश राज्य ने (2019) 2 एस. सी. सी. 488 में अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में बताया कि संशोधनकारी मध्यस्थता अधिनियम संशोधनकारी अधिनियम के प्रारंभ से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों।

4. 4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

6. इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या आवेदक को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के से दायर आवेदन में सार्वजनिक नीति खंड संबंधित आधार का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है?

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई और यहां तक कि पुरस्कार को वर्ष 1998 में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा घोषित/पारित किया गया था, यानी खंड 34 (2) (ए) से पहले अधिनियम 33/2019 द्वारा संशोधित किया गया था।इस तथ्य के अलावा कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर खंड उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि अधिनियम द्वारा धारा 34 (2) (ए) के संशोधन खंड पहले प्रचलित कानून लागू होगा, अन्यथा भी, हमारी मत है कि मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो गई थी और यहां तक कि पुरस्कार भी अधिनियम द्वारा धारा 34 (2) (ए) के संशोधन खंड पहले घोषित किया गया था, धारा 34 (2) (ए) पूर्व-संशोधन लागू होगा।हम जो विचार ले रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि अधिनियम 33/2019 द्वारा खंड 34 (2) (ए) के संशोधन से, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।खंड 34 (2) (ए) के संशोधन से पहले, न्यायालय द्वारा एक मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त किया जा सकता है यदि आवेदन करने वाला पक्ष "सबूत प्रस्तुत करता है" और खंड 34 (2) (ए) और खंड 34 (2) (बी) में निर्धारित आधार संतुष्ट हैं।यद्यपि खंड 34 (2) (ए) के संशोधन के बाद, "सबूत प्रस्तुत करता है" शब्दों को "मध्यस्थ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख के आधार पर स्थापित करता है" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।मामले के उस दृष्टिकोण में, हम मानते हैं कि अधिनियम द्वारा

खंड 34 (2) (ए) के संशोधन से पहले शुरू और समाप्त मध्यस्थता कार्यवाही के मामले में, खंड 34 (2) (ए) का पूर्व-संशोधन लागू होगा।

7. अब जहां तक प्रश्न यह है कि क्या धारा 34 (2) (ए) पूर्व-संशोधन के से दायर आवेदन में जहां आवश्यकता यह है कि आवेदन करने वाले पक्ष को "प्रमाण प्रस्तुत करना" है, क्या ऐसे आवेदक को शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने खंड अनुमति दी जा सकती है या अन्यथा, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने खंड आवश्यकता है।

(i) फिज़ा डेवलपर्स (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय द्वारा जो प्रश्न उठाया गया था, वह यह था कि क्या आदेश 14 नियम 1 सी. पी. सी. के से विचार किए गए मुद्दों को अधिनियम की खंड 34 के से आवेदनों में तैयार किया जाना चाहिए। उसी का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 14,17,18,21,22,24,29 और 31 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

> **"14.** संक्षिप्त कार्यवाही में, प्रतिवादी को अपनी आपत्तियां या लिखित बयान दायर करने का अवसर दिया जाता है।इसके बाद, अदालत पक्षों को अपने-अपने पक्ष के प्रमाण में शपथ पत्र दायर करने की अनुमति देगी, और यदि आवश्यक हो तो दलीलें सुनने से पहले दूसरे पक्ष द्वारा जिरह की अनुमति देगी।ऐसी कार्यवाहियों में मुद्दों को तैयार करना आवश्यक नहीं है।हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि जब यह कहा जाता है कि मुद्दे आवश्यक नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सबूत आवश्यक नहीं है।

XXXXXX

17. अधिनियम की योजना और प्रावधान न्यायालयों और मध्यस्थता से संबंधित दो महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा करते हैं।पहला यह है कि मध्यस्थता से संबंधित मामलों में अदालतों द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए।दूसरा, न्यायालय में लाए गए मध्यस्थता मामलों के संदर्भ में दिखाई गई तात्कालिकता की भावना है, जिसके निपटारे में शीघ्रता की आवश्यकता होती है।

18. अधिनियम की खंड 5 में प्रावधान है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिनियम के भाग । द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया हो।

XXXXXX

21. इसलिए हम तीन कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार के लिए प्रश्न की जांच कर सकते हैं।पहला यह है कि यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और खंड 34 एक विशेष उपाय प्रदान करती है।दूसरा यह है कि मध्यस्थता पुरस्कार को मात्र धारा 34 खंड उप धारा (2) में उल्लिखित आधारों में खंड एक पर अपास्त जा सकता है। तीसरा यह है कि धारा 34 के से कार्यवाही को तेजी खंड निपटाया जाना चाहिए।

22. धारा 34 के से एक कार्यवाही में जांच का दायरा इस बात पर विचार करने तक सीमित है कि क्या धारा 34 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों में खंड कोई एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए मौजूद है।हम श्री ओ. पी. मल्होत्रा द्वारा

मध्यस्थता और सुलह के कानून और व्यवहार से "चुनौती के आधार" से संबंधित विश्लेषण को अनुमोदनपूर्वक निकाल सकते हैं।768, पैरा (1) 34-14]:

> “खंड 5 मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप को नियंत्रित करती है।इसमें यह प्रावधान है कि भारत में उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के भाग । द्वारा शासित मामलों में, अदालत इस भाग में जहां इस तरह का प्रावधान किया गया है, उसके अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगी।इस नीति के अनुसार, खंड 34 मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करने के न्यायालय के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाती है।यह पुरस्कार को अलग रखने के लिए कुल मिलाकर सात आधार प्रदान करता है।दूसरे शब्दों में, एक मध्यस्थता पुरस्कार मात्र तभी अपास्त सकता है जब इन सात आधारों में से एक या अधिक मौजूद हों।खंड 34 (2) (ए) में पहले पाँच आधार निर्धारित किए गए हैं।इनमें से किसी भी आधार को सफलतापूर्वक लागू आदेश के लिए, एक पक्ष को ऐसे एक या अधिक आधारों के अस्तित्व का अनुरोध करना और साबित करना होता है।कहने का मतलब है, पुरस्कार को चुनौती देने वाले पक्ष को ऐसे किसी भी आधार के अस्तित्व को दिखाने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय सबूत पेश करके सबूत के बोझ का निर्वहन करना होगा।शेष दो आधार खंड 34 (2) (बी) में अपास्त हैं जो यह प्रावधान करता है कि यदि विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य नहीं है या विवादित निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है तो अदालत द्वारा अपनी पहल पर एक पुरस्कार को

अलग किया जा सकता है।उन्होंने कहा, "पुरस्कार को अलग रखने के लिए आधार विशिष्ट हैं।इसलिए, अनिवार्य रूप से एक याचिकाकर्ता जो एक आवेदन दायर करता है, उसे उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी भी आधार की सामग्री बनाने और उसे साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों का अनुरोध करना होगा।इसअपास्त, अधिनियम की धारा 34 के से एक आवेदन में जो एकमात्र प्रश्न उठता मात्र, वह यह मात्र कि क्या पुरस्कार को उसकी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आधारों में खंड किसी पर अलग रखने की आवश्यकता मात्र।उप-धारा (2) भी स्पष्ट रूप से आवेदन करने वाले व्यक्ति पर प्रमाण का भार डालती है।इसलिए, न्यायनिर्णयन के लिए उत्पन्न होने वाला प्रश्न और उस व्यक्ति को भी वैधानिक रूप से निर्दिष्ट किया जाता है जिस पर प्रमाण का भार रखा जाता है।इसलिए, मुद्दों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

XXXXXXX

24. दूसरे शब्दों में, अधिनियम की खंड 34 के से एक आवेदन एक एकल मुद्दा कार्यवाही है, जहां यह तथ्य कि आवेदन उस विशेष प्रावधान के से स्थापित किया गया है, शामिल मुद्दे को घोषित करता है।मुद्दों को तैयार करने के लिए कोई भी अग्रेतर की कवायद मात्र कार्यवाही में विलम्ब करेगी।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम की खंड 34 के से आवेदनों में मुद्दों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

XXXXXX

29. एक नियमित दीवानी मुकदमे में, बचाव दायर करने में विफलता की स्थिति में, अदालत के लिए मुकदमा में निहित तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना वैध होगा [संहिता के आदेश 8 नियम 5 (2) के अनुसार]।लेकिन खंड 34 के से एक आवेदन में, भले ही कोई प्रतिस्पर्धा न हो, अदालत, आवेदन में निहित कथनों के आधार पर, पुरस्कार को अपास्त नहीं कर सकती है।चाहे प्रतिस्पर्धा हो या न हो, आवेदक को धारा 34 (2) (ए) और (बी) में निर्धारित आधारों में से एक को साबित करना होगा।भले ही आवेदक खंड (बी) के से आधारों पर भरोसा नहीं करता है, अदालत अपनी पहल पर यह पता लगाने के अपास्त पुरस्कार की जांच कर सकती है कि क्या यह धारा 34 (2) (बी) में उल्लिखित दो आधारों में खंड किसी एक पर अलग किए जाने के अपास्त उत्तरदायी है।शायद इस अर्थ में उच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यवाही प्रतिकूल नहीं हो सकती है।जो भी हो सकता है।

XXXXXXX

31. अधिनियम की खंड 34 के से आवेदन प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा आपत्तियों के प्रावधान के साथ संक्षिप्त कार्यवाही हैं, जिसके बाद आवेदक को खंड 34 (2) के से किसी भी आधार के अस्तित्व को "साबित" करने का अवसर मिलता है।आवेदक को सबूत के रूप में अपने गवाहों के शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति है।प्रतिवादी-प्रतिवादी को शपथ पत्र द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक संबंधित अवसर दिया जाता है।जहाँ मामला वारंट करता है, वहाँ अदालत शपथ पत्र की शपथ लेने वाले व्यक्तियों से जिरह की अनुमति देती है।इसके बाद, अदालत दलीलें सुनती है और/या लिखित प्रस्तुतियाँ प्राप्त करती है और मामले का फैसला

करती है।यह निश्चित रूप से नियमित प्रक्रिया है।न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों या स्थानीय नियमों के आधार पर उक्त प्रक्रिया को बदल सकता है।लेकिन जो बात स्पष्ट है वह यह है कि संहिता के आदेश 14 के नियम 1 के से विचार किए गए मुद्दों को तैयार करना अधिनियम यद्यपि खंड 34 के से कार्यवाही यद्यपि प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है।

(ii) फिज़ा डेवलपर्स (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बाद में इस न्यायालय द्वारा एमके ग्लोबल (ऊपर) के मामले में विचार किया गया है और पैराग्राफ 21 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

"21. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि मध्यस्थता विवादों का त्वरित समाधान 1996 के अधिनियम को लागू करने का कारण रहा है, और उपरोक्त उद्देश्य को मजबूत करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन जोड़ने का कारण बना हुआ है।स्पष्ट रूप खंड, यदि धारा 34 के से संक्षिप्त कार्यवाही में मुद्दों को तैयार किया जाता है और मौखिक साक्ष्य लिया जाता है, तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा।यह भी माना जा रहा है कि यदि 2018 का विधेयक संख्या 100 पारित हो जाता है, तो धारा 34 के आवेदन के स्तर पर साक्ष्य को पूरी तरह खंड समाप्त कर दिया जाएगा।कानून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारा विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के दो शुरुआती फैसले [संदीप कुमार बनाम अशोक हंस, 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 106: (2004) 3 ए. आर. बी. एल. आर. 306] [सियाल बायोएनर्जी बनाम एस. बी. ई. सी. सिस्टम, 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 863 ए. आई. आर. 2005 डेल 95], जो हमारे द्वारा ऊपर उद्धृत किया गया है, धारा

34 (2) (ए) के से सबूत प्रस्तुत करने के बारे में कानून की स्थिति को सही ढंग खंड दर्शाता है।इसी तरह कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय [वेब टेक्निक्स एंड नेट सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड बनाम।गति लिमिटेड, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 4271]।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यदि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया [पंजाब एस. आई. डी. सी. लिमिटेड बनाम.सुनील के. कंसल, 2012 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 19641] का पालन किया जाना है, भंग में अधिकांश मामलों में मात्र एक वर्ष की समय-सीमा का पालन किया जाएगा।इसलिए हम उक्त निर्णय को खारिज करते हैं।हम यह देखने के लिए विवश हैं कि फिज़ा डेवलपर्स [फिज़ा डेवलपर्स एंड इंटर-ट्रेड (पी) लिमिटेड बनाम.एएमसीआई (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2009) 17 एससीसी 796:(2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 637] सही दिशा में एक कदम था क्योंकि इसका अंतिम अनुपात यह है कि खंड 34 आवेदन की सुनवाई के चरण में मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो एक संक्षिप्त प्रक्रिया है।हालाँकि, इस निर्णय को अब धारा 34 (5) यद्यपि 34 (6) में किए गए संशोधन के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।इसलिए पढ़ें, हम यह कहते हुए कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन के लिए सामान्य रूप से मध्यस्थ के समक्ष अभिलेख के बाद कुछ भी आवश्यक नहीं होगा।हालाँकि, यदि ऐखंड मामले ऐखंड अभिलेख में निहित नहीं हैं, यद्यपि धारा 34 (2) (ए) के से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं, तो उन्हें दोनों पक्षों द्वारा दायर हलफनामों के माध्यम खंड न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता

है।शपथ-पत्रों की शपथ लेने वाले व्यक्तियों से जिरह की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आत्यन्तिक रूप आवश्यक न हो, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा दायर शपथ-पत्रों को पढ़ने पर सच्चाई सामने आएगी।इसलिए, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय [गिरधर सोंधी बनाम एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12758] को अपास्तते हैं और दिनांक 22-9-2016 के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को बहाल करते हैं।तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

(iii) फिज़ा डेवलपर्स (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय फिर से केनरा निधि (ऊपर) के मामले में बाद के निर्णय में इस न्यायालय के विचार के लिए गिर गया।एम्के ग्लोबल (ऊपर) में पैराग्राफ 21 में खंड गई टिप्पणियों ध्यान दें देने पश्चात इसके बाद इस न्यायालय द्वारा केनरा निधि (ऊपर) के मामले में यह देखा गया है कि कानूनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट खंड गई है कि धारा 34 के आवेदन में सामान्य रूप से मध्यस्थता से पहले के अभिलेख के बाद कुछ आत्यन्तिक रूप आवश्यक नहीं होगा और शपथ पत्र में शपथ लेने वाले व्यक्तियों खंड प्रतिपरीक्षा खंड अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो।

8. धारा 34 (2) (ए) पूर्व-संशोधन के दायरे यद्यपि दायरे के बाद उके बादोक्त तीन निर्णयों का अनुपात यह होगा कि अधिनियम खंड धारा 34 के से आवेदन संक्षिप्त कार्यवाही हैं; एक पुरस्कार आत्यन्तिक रूप धारा 34 (2) (ए) यद्यपि धारा 34 (2) (बी) में निर्धारित आधारों के बाद अलग किया जा सकता है; मध्यस्थता विवादों का त्वरित

समाधान 1996 अधिनियम के अधिनियमन का कारण रहा है यद्यपि उके बादोक्त उद्देश्य को मजबूत करने के अभिलेख उक्त अधिनियम में संशोधन जोड़ने का एक कारण बना हुआ है; इसअभिलेख मध्यस्थता अधिनियम खंड धारा 34 के से कार्यवाही में, मुद्दों को तैयार करने खंड आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यदि मुद्दों को तैयार किया जाना है यद्यपि संक्षिप्त कार्यवाही में मौखिक साक्ष्य लिया जाता है, तो उक्त उद्देश्य होगा। इसलिए, यदि एक अपवादात्मक मामला बनाया जा रहा है और मध्यस्थ का अभिलेख नहीं रखने वाले मामलों पर अदालत में लाया जाता है कि धारा 34 (2) (ए) के से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के निर्धारण के लिए कुछ चीजें प्रासंगिक हैं, तो जिस पक्ष ने धारा 34 (2) (ए) में निर्धारित आधारों पर निर्णय पर हमला किया है, उसे साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र दायर करने खंड अनुमति दी जा सकती है।हालाँकि, इसयद्यपि अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि आत्यन्तिक रूप आवश्यक न हो।

9. अब जहाँ तक अपीलकर्ता खंड ओर से यह प्रस्तुतीकरण कि मध्यस्थता अधिनियम खंड धारा 34 (2) (ए) के पूर्व-संशोधन के अनुसार "प्रमाण प्रस्तुत करने" खंड आवश्यकता धारा 34 (2) (बी) में निर्धारित आधारों पर पुरस्सेर को अलग करने के लिए आवेदन पर लागू नहीं होगी और यह प्रस्तुतीकरण कि निष्पादन सेर्यवाही में भूखंडों के समामेलन के लिए अनुमति देने से इनसेर करने के बाद के विसेस पर विचार किया जा सकता है और यह आवेदकों के लिए निष्पादन सेर्यवाही में यह इंगित करने के लिए खुला होगा कि पुरस्सेर निष्पादित करने में सक्षम नहीं है, शुरू में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह स्थापित करने के लिए भी कि मध्यस्थ पुरस्सेर भारत खंड सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है, किसी दिए गए मामले में, हालाँकि, उसी समय, मध्यस्थ के समक्ष

अभिलेख से, यदि यह स्थापित किया जा सकता है यद्यपि साबित किया जा सकता है कि विवाद का विषय कुछ समय के लिए लागू कानून के से मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है या मध्यस्थता पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, तो उस मामले में, व्यक्ति को साक्ष्य/अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से शपथ पत्र दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. अब जहाँ तक अपीलकर्ता खंड ओर से यह प्रस्तुतीकरण कि भूखंडों को समामेलित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के पश्चात के विकास पर निष्पादन कार्यवाही में विचार किया जा सकता मात्र, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध पुरस्कार पारित किया जाता मात्र और जो निष्पादन न्यायालय के समक्ष धारा 34 (2) (बी) में निर्धारित आधारों पर आरोप लगाता मात्र, निष्पादन न्यायालय यह मान सकता मात्र कि पुरस्कार निष्पादित करने में सक्षम नहीं मात्र, यह ध्यान देने खंड आवश्यकता मात्र कि जहां तक धारा 34 (2) (बी) में निर्धारित आधारों में से एक मात्र, अर्थात् मध्यस्थता पुरस्कार भारत खंड सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में मात्र, उक्त आधार पुरस्कार पारित होने के पश्चात ही उपलब्ध हो सकता मात्र।इसलिए, अधिनियम खंड धारा 34 के से एक आवेदन में इसे उत्तेजित करने खंड अनुमति दी जा सकती है और व्यक्ति को निष्पादन दायर होने तक इंतजार नहीं करना होगा।यह बचाव कि मध्यस्थता पुरस्कार स्वयं भारत खंड सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, अधिनियम खंड धारा 34 (2) (बी) को देखते हुए पुरस्कार को अलग करने का आधार हो सकता है। इसअपास्त, उपरोक्त प्रस्तुतीकरणकरण में कोई सार नहीं है।

11. अब विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामला इतना असाधारण मामला है कि प्रतिवादी को शपथ पत्र दायर करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना आवश्यक है और क्या इसके लिए कोई मामला बनाया गया है।

अधिनियम की धारा 34 के से कार्यवाही में रखे जाने की मांग वाले शपथ पत्र खंड यह देखा गया है कि प्रतिवादी उपयुक्त प्राधिकारी खंड संचार को अभिलेख पर रखना चाहते हैं जिसके द्वारा भूखंडों के समामेलन के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध/समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित की है, जो भूखंडों के समामेलन के अधीन है।इसलिए, प्रतिवादी खंड ओर से यह मामला है कि भूखंडों को समामेलित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमति से इनकार करने के मद्देनजर, मामला धारा 34 (2) (बी) के से आता है, अर्थात्, विवाद उस समय लागू कानून के से निपटान करने में सक्षम नहीं है और मध्यस्थता पुरस्कार भारत खंड सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है, अर्थात्, प्रासंगिक भूमि कानूनों के विरुद्ध है।भूखंडों को समामेलित करने से इनकार करने की घटना निर्णय के पारित होने के बाद होती है और इसलिए स्वाभाविक रूप से यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख का हिस्सा नहीं होगा।अन्यथा भी, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय एक एकतरफा निर्णय था और प्रतिवादी की ओर एकपक्षीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कोई सबूत नहीं था। हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक-पक्षीय रूप से अग्रेतर की कार्यवाही के साथ अग्रेतर बढ़ने में उचित था या नहीं।यह दर्ज

करने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था और भूखंडों के समामेलन पर कुछ भी अभिलेख में नहीं था।

इस प्रकार शपथ पत्र विशिष्ट दस्तावेज का खुलासा करता है और साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रतिवादी द्वारा एक मजबूत असाधारण मामला बनाया जाता है ताकि उन्हें शपथ पत्र दायर करने/अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति दी जा सके।हालाँकि, साथ ही, अपीलकर्ता को जिरह करने यद्यपि/या विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी जा सकती है।

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी मत है कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम खंड धारा 34 के से कार्यवाही में प्रतिवादी को शपथ पत्र/अतिरिक्त साक्ष्य दायर करने खंड अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं खंड है।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।यद्यपि यह देखा गया है कि इसमें अपीलकर्ता को उलट जांच करने और/या विपरीत साक्ष्य का नेतृत्व करने की भी अनुमति दी जा सकती है, जिसमें खतों को जोड़ने की अनुमति भी शामिल है, जहां नाले हैं क्योंकि यह अपीलकर्ता का मामला है कि इसके बाद निगम दिनांक 28.6.2004 के समर्थन के माध्यम से खतों को जोड़ने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। जब भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है/पेश किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा भी कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है।यद्यपि उसी समय, खंड 34 आवेदन पर विचार करने वाला

न्यायालय अंततः मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य, अर्थात् त्वरित निपटान पर विचार करते हुए, खंड 34 आवेदन पर निर्णय लेगा और उसका शीघ्र निपटान करेगा।

14. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....जे.

[एम. आर. शाह]

..... जे.

[सी. टी. रविकुमार]

नई दिल्ली;

19 जनवरी, 2023।

(प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुवाद AI टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है।)

सुजल अधिकारी
सहायक समीक्षा अधिकारी
24-08-2023